

1. सुखजीत सिंह पुत्र श्री मन्दर सिंह उम्र 51 वर्ष जाति जटसिख निवासी चक 8 एच बड़ा, संगतपुरा तह. व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
2. कर्मजीत सिंह पुत्र श्री मन्दर सिंह उम्र 39 वर्ष जाति जटसिख निवासी चक 8 एच बड़ा, संगतपुरा तह. व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)



..... वादीगण

**बनाम**

1. मन्दर सिंह उर्फ महेन्द्र सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 8 एच बड़ा, संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित— अधिवक्ता श्री ऋषिपाल जोषी (वादीगण)  
अधिवक्ता श्री विजय कुमार भाटी (प्रतिवादी-1)  
पैरोकार राज (प्रति.-2)

दिनांक 07.08.2020

**--:: निर्णय ::--**

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र में अंकित तथ्यानुसार प्रतिवादी संख्या 1 मन्दर सिंह उर्फ महेन्द्र सिंह वादीगण के पिताजी है। चक 8 एच बड़ा पटवार हल्का संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070-2073 जमाबन्दी 2076(वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 54/15 के मुरब्बा नम्बर 38 की कुल 0.632 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से वादीगण के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 (मन्दर सिंह पुत्र करनैल सिंह) के नाम से 211/632 हिस्सा यानि 0.211 हैक्टर नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है एवं इसी चक 8 एच बड़ा पटवार हल्का संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070-2073 जमाबन्दी 2076(वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 86/56 के मुरब्बा नम्बर 12, 15, 36, 38 की कुल 5.225 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से वादीगण के पिताजी (महेन्द्र सिंह पुत्र करनैल सिंह) के नाम से 674/1045 हिस्सा यानि 3.370 हैक्टर नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है जिसमें से 0.127 है. कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये दस्तावेज बैयनामा दिनांक 25/06/2020 के द्वारा देविन्द्र सिंह पुत्र हमीर सिंह को विक्रय कर दी है। चक 8 एच बड़ा पटवार हल्का संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी

97/59 के मुरब्बा नम्बर 12, 30, 31, 40 की कुल 7.590 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से वादीगण के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 (महेन्द्र सिंह पुत्र करनैल सिंह) के नाम से 158/3795 हिस्सा यानि 0.316 हैक्टर नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है एवं चक 8 एच बड़ा पटवार हल्का संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्बत् 2070-2073 जमाबन्दी 2076(वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 137/90 के मुरब्बा नम्बर 18, 38 की कुल 3.605 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से वादीगण के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 (महेन्द्र सिंह पुत्र करनैल सिंह) के नाम से 1087/3605 हिस्सा यानि 1.087 हैक्टर नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है जिसमें से 0.759 हैक्टर नहरी कृषि भूमि नक्षत्र सिंह, जीतपाल सिंह, जगजीत सिंह पिसरान बलवीर सिंह को जड़िये दस्तावेज बैयनामा दिनांक 26/12/2019 को विक्रय की जा चुकी है। चक 2 आर पटवार हल्का मोहलां तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्बत् 2076-2079 के खाता संख्या 50/48 के मुरब्बा नम्बर 11 की कुल 1.467 हैक्टर नहरी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 (महेन्द्र सिंह पुत्र करनैल सिंह) के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है। चक 8 एच बड़ा में वादीगण के पिताजी के नाम दर्ज उक्त वर्णित कृषि भूमि वादीगण के दादाजी करनैल सिंह के स्वर्गवास होने के बाद विरास्त में वादीगण के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई होने के कारण विरास्तन जायदाद है जिसमें वादीगण का जन्म से ही हक व अधिकार निहीत है जिसे वादीगण घोषित करवाने के अधिकारी है। चक 8 एच बड़ा के खाता संख्या 54/15, खाता संख्या 86/56, खाता संख्या 97/59, खाता संख्या 137/90 के जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति एवं चक 2 आर के खाता संख्या 50/48 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति एवं नामान्तरण संख्या 81 दिनांक 07/06/1980 की प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न वाद पत्र है। प्रतिवादी संख्या 1 के दो पुत्र (सुखजीत सिंह एवं कर्मजीत सिंह) हैं इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई सन्तान नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 8 एच बड़ा एवं चक 2 आर की कृषि भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने पारस्परिक सहमति से निम्न प्रकार विभाजन किया हुआ है :-



<p>सुखजीत सिंह पुत्र श्री मन्दर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 8 एच बड़ा, संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)</p>	<p>चक 8 एच बड़ा पटवार हल्का संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्बत् 2070-2073 के संयुक्त खाता संख्या 86/56 के मुरब्बा नम्बर 12, 15, 36, 38 की कुल 5.225 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से महेन्द्र सिंह पुत्र करनैल सिंह के नाम से 674/1045 हिस्सा यानि 3.370 हैक्टर नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 1.543 है. कृषि भूमि</p>
<p>कर्मजीत सिंह पुत्र श्री मन्दर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 8 एच बड़ा, संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)</p>	<p>चक 8 एच बड़ा पटवार हल्का संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्बत् 2070-2073 के संयुक्त खाता संख्या 97/59 के मुरब्बा नम्बर 12, 30, 31, 40 की कुल 7.590 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से महेन्द्र सिंह पुत्र करनैल सिंह के नाम दर्ज 158/3795 हिस्सा यानि 0.316 हैक्टर नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक</p>

	<p>(मन्दर सिंह पुत्र करनैल सिंह) के नाम दर्ज 211/632 हिस्सा यानि 0.211 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक</p> <p>चक 8 एच बड़ा पटवार हल्का संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्बत् 2070-2073 के संयुक्त खाता संख्या 137/90 के मुरब्बा नम्बर 18, 38 की कुल 3.605 हैक्टयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से वादीगण के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 (महेन्द्र सिंह पुत्र करनैल सिंह) के नाम से 1087/3605 हिस्सा यानि 1.087 हैक्टयर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 0.328 है.</p> <p>चक 8 एच बड़ा पटवार हल्का संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्बत् 2070-2073 के संयुक्त खाता संख्या 86/56 के मुरब्बा नम्बर 12, 15, 36, 38 की कुल 5.225 हैक्टयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से महेन्द्र सिंह पुत्र करनैल सिंह के नाम दर्ज 674/1045 हिस्सा यानि 3.370 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 1.700 है. कृषि भूमि</p>
<p>मन्दर सिंह उर्फ महेन्द्र सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 8 एच बड़ा, संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)</p>	<p>चक 2 आर पटवार हल्का मोहलां तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्बत् 2076-2079 के खाता संख्या 50/48 के मुरब्बा नम्बर 11 की कुल 1.467 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि (महेन्द्र सिंह पुत्र करनैल सिंह) के नाम से जमाबन्दी मुताबिक</p>



वादीगण को घरेलू बंटवारा में आई भूमि वादीगण के नाम दर्ज ना होने के कारण, वादीगण को उस पर कोई भी मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है। वादीगण उक्त कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकता है, ना ही इस पर कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा, डिग्गी, कैटल पैड, पैक हाउस आदि की सुविधा ले सकता है। चूंकि प्रति. संख्या 1, वादीगण को घरेलू बंटवारा में दी गई कृषि भूमि वादीगण के नाम दर्ज करवाने में पूर्णतः सहमत है अतः उक्त कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने हेतु प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष पेश हुए लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा श्रीमान जी न्यायालय में वाद दायर कर उक्त हिस्सा घोषित करवाने की हिदायत दी गई है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया है यही बिनाय मुख्यास्मत है इसलिए वादी के पास उक्त वाद पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है।

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर वाद निम्न प्रकार से डिक्री किये जाने निवेदन किया :-

- (क) प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वाद पत्र की मद संख्या 2 व 3 में दर्ज कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक का वाद पत्र की मद संख्या 7 में वर्णित टेबल अनुसार विभाजन घोषित किया जावे ।
- (ख) उक्त बंटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे तथा अलग-अलग लगान कायम किया जावे,
- (ग) वादीगण को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।
- (घ) नि. अ. अ. कोई अन्य कोष जो मालकीय न्यायालय वादीगण के हित में समझे

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रतिवादी का जरिए सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 05.08.2020 को अपसी सहमति के आधार पर राजीनामा पेश किया गया जिसके तथ्यानुसार उक्त अनवानी शीर्षक दावा में पक्षकारान का पंचायत वा मौतबिरान लोको ने राजीनामा करवा दिया है तथा पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपनी स्वेच्छा से राजीनामा कर लिया है। पक्षकारान का अब कोई मनुमुटाव नहीं रहा है। चक 8 एच बड़ा पटवार हल्का संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्बत् 2070-2073 के संयुक्त खाता संख्या 86/56 के मुरब्बा नम्बर 12, 15, 36, 38 की कुल 5.225 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से महेन्द्र सिंह पुत्र करनैल सिंह के नाम से 674/1045 हिस्सा यानि 3.370 हैक्टर नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 1.543 है। कृषि भूमि एवं इसी चक 8 एच बड़ा के संयुक्त खाता संख्या 97/59 के मुरब्बा नम्बर 12, 30, 31, 40 की कुल 7.590 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से महेन्द्र सिंह पुत्र करनैल सिंह के नाम दर्ज 158/3795 हिस्सा यानि 0.316 हैक्टर नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक कृषि भूमि वादी संख्या 1 सुखजीत सिंह पुत्र मन्दर सिंह को घरेलू बंटवारा में दी हुई है। चक 8 एच बड़ा पटवार हल्का संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्बत् 2070-2073 के संयुक्त खाता संख्या 54/15 के मुरब्बा नम्बर 38 की कुल 0.632 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से (मन्दर सिंह पुत्र करनैल सिंह) के नाम दर्ज 211/632 हिस्सा यानि 0.211 हैक्टर नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक को एवं इसी चक 8 एच बड़ा के संयुक्त खाता संख्या 137/90 के मुरब्बा नम्बर 18, 38 की कुल 3.605 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से महेन्द्र सिंह पुत्र करनैल सिंह के नाम से 1087/3605 हिस्सा यानि 1.087 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 0.328 है। को तथा इसी चक 8 एच बड़ा के संयुक्त खाता संख्या 86/56 के मुरब्बा नम्बर 12, 15, 36, 38 की कुल 5.225 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से महेन्द्र सिंह पुत्र करनैल सिंह के नाम दर्ज 674/1045 हिस्सा यानि 3.370 हैक्टर नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 1.700 है। कृषि भूमि वादी संख्या 2 कर्मजीत सिंह पुत्र श्री मन्दर सिंह को घरेलू बंटवारा में दी हुई है।

अतः उक्त राजीनामानुसार चक 8 एच बड़ा पटवार हल्का संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्बत् 2070-2073 के संयुक्त खाता संख्या 86/56 के मुरब्बा नम्बर 12, 15, 36, 38 की कुल 5.225 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से महेन्द्र सिंह पुत्र करनैल सिंह के नाम से 674/1045 हिस्सा यानि 3.370 हैक्टर नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 1.543 है। कृषि भूमि एवं इसी चक 8 एच बड़ा के संयुक्त खाता संख्या 97/59 के मुरब्बा नम्बर 12, 30, 31, 40 की कुल 7.590 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से महेन्द्र सिंह पुत्र करनैल सिंह के नाम दर्ज 158/3795 हिस्सा यानि 0.316 हैक्टर नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक कृषि भूमि वादी संख्या 1 सुखजीत सिंह पुत्र मन्दर सिंह की तथा चक 8 एच बड़ा पटवार हल्का संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्बत् 2070-2073 के संयुक्त खाता संख्या 54/15 के मुरब्बा नम्बर 38 की कुल 0.632 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से (मन्दर सिंह पुत्र करनैल सिंह) के नाम दर्ज 211/632 हिस्सा यानि 0.211 हैक्टर नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक को एवं इसी चक 8 एच बड़ा के संयुक्त खाता संख्या 137/90 के मुरब्बा नम्बर 18, 38 की कुल 3.605 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से महेन्द्र सिंह पुत्र करनैल सिंह के नाम से 1087/3605 हिस्सा यानि 1.087 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 0.328 है। को तथा इसी चक 8 एच बड़ा के संयुक्त खाता संख्या

कृषि भूमि में से महेन्द्र सिंह पुत्र करनैल सिंह के नाम दर्ज 674/1045 हिस्सा यहूके 3.370 हैक्टर नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 1.700 है. कृषि भूमि वादी संख्या 2 कर्मजीत सिंह पुत्र श्री मन्दर सिंह की घोषित की जाकर डिक्री जारी कर दी जावे व उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे. तो पक्षकारान उसमें पूर्णतः सहमत है।

तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वाद पत्र में प्रस्तुत शपथ-पत्र अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 समस्त जायज वारिसान पक्षकार के रूप में संयोजित है। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवादी संख्या 1 (वादी के पिता) के नाम संयुक्त खाता में जमाबंदी सम्वत् 2070-2073 ग्राम 8 एच बडा, पटवार हल्का संगतपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र दौलतपुरा खाता संख्या 54/15, जमाबंदी सम्वत् 2070-2073 ग्राम 8 एच बडा, पटवार हल्का संगतपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र दौलतपुरा खाता संख्या 86/56, जमाबंदी सम्वत् 2070-2073 ग्राम 8 एच बडा, पटवार हल्का संगतपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र दौलतपुरा खाता संख्या 86, जमाबंदी सम्वत् 2070-2073 ग्राम 8 एच बडा, पटवार हल्का संगतपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र दौलतपुरा खाता संख्या 97/59, जमाबंदी सम्वत् 2070-2073 ग्राम 8 एच बडा, पटवार हल्का संगतपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र दौलतपुरा खाता संख्या 97, जमाबंदी सम्वत् 2070-2073 ग्राम 8 एच बडा, पटवार हल्का संगतपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र दौलतपुरा खाता संख्या 137/90, जमाबंदी सम्वत् 2076-2079 ग्राम 2 आर, पटवार हल्का मोहलां, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना-कलां, खाता संख्या 50/48, जमाबंदी ग्राम 2 आर, पटवार हल्का मोहलां, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर खाता संख्या 39/49 संयुक्त खाता में पेश की। वादी द्वारा अपने दादा श्री करनैल सिंह के नाम जमाबंदी ग्राम 8 एच बडा तहसील श्रीगंगानगर खाता संख्या 81/16/17 विरास्तन इन्तकाल की फोटो प्रतियां पेश की। जिनका अवलोकन करने से उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक होना सिद्ध होता है।

वाद पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है एवं पक्षकारान मध्य राजीनामा हो चुका है।

"राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है।"

अतः पक्षकारान के मध्य राजीनामा होने से राजीनामा के आधार पर वादी संख्या 1 (सुखजीतसिंह पुत्र श्री मन्दरसिंह) को चक 8 एच बडा पटवार हल्का संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070-2073 के संयुक्त खाता संख्या 86/56 के मुरब्बा नम्बर 12, 15, 36, 38 की कुल 5.225 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से महेन्द्र सिंह पुत्र करनैल सिंह के नाम से 674/1045 हिस्सा यानि 3.370 हैक्टर नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 1.543 है. कृषि भूमि एवं इसी चक 8 एच बडा के संयुक्त खाता संख्या 97/59 के मुरब्बा नम्बर 12, 30, 31, 40 की कुल 7.590 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से महेन्द्र सिंह पुत्र करनैल सिंह के नाम दर्ज 158/3795 हिस्सा यानि 0.316 हैक्टर नहरी कृषि भूमि (मुताबिक जमाबन्दी) का एवम् वादी संख्या 2 (कर्मजीतसिंह पुत्र मन्दरसिंह) को चक 8 एच बडा पटवार हल्का संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070-2073 के संयुक्त खाता संख्या 54/15 के मुरब्बा नम्बर 38




मुताबिक को एवं इसी चक 8 एच बड़ा के संयुक्त खाता संख्या 137/90 के मुरब्बा नम्बर 18, 38 की कुल 3.605 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से महेन्द्र सिंह पुत्र करनैल सिंह के नाम से 1087/3605 हिस्सा यानि 1.087 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 0.328 है. को तथा इसी चक 8 एच बड़ा के संयुक्त खाता संख्या 86/56 के मुरब्बा नम्बर 12, 15, 36, 38 की कुल 5.225 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से महेन्द्र सिंह पुत्र करनैल सिंह के नाम दर्ज 674/1045 हिस्सा यानि 3.370 हैक्टर नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 1.700 है. कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 07.08.2020 को जारी किया गया।

  
(उम्मेद सिंह रतन)  
उपखण्ड अधिकारी एवम्  
पदेन सहायक कलेक्टर,  
श्रीगंगानगर